efforts are made to supply adequate quantity and quality of coal.

कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन

1656. **श्री हुक्म देव नारायण यादव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी पंजीकृत कम्पनियां कार्यरत हैं और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने से सम्बन्धित मामले लम्बित हैं और मामले कब से लम्बित हैं, और

(ख) क्या इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) 31-3-1981 तक दिल्ली में कार्य कर रही पंजीकृत कम्पनियों की संख्या 8013 है, जिसमें से 626 कम्पनियां पब्लिक हैं, 7267 कम्पनियां प्राइवेट हैं, 110 कम्पनियां गारन्टी द्वारा सीमित और लाभ के लिये संगठन नहीं है तथा 10 कम्पनियों असीमित देयता वाली कम्पनियां हैं। 31-3-1981 तक 2520 कम्पनियों और उनके निदेशकों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघनों के लिए 4049 मामले अनिर्णीत हैं। इन सभी कम्पनियों के नामों की सूची की संकलन करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो परिणामों का समानुपातिक नहीं हो सकेगा ।

(ख) उपरोक्त (क) में विनिर्दिष्ट अभियोग के मामले मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों मे अनिर्णीत हैं जिनको उनके निपटान को तुरन्त करने के लिये, उचित रूप से समय समय पर अनुरोध किया जाता है।

एकाधिकार घराने

1657. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1980 से दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान किन-किन एकाधिकार घरानों की कितनी कितनी कम्पनियां पंजीकृत हुई हैं और उनमें से प्रत्येक कम्पनी को कितनी कितनी राशि के निवेश हेतु लाइसेंस दिया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : जनवरी 1980 से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के मध्य, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत 76 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था। (ब्यौरे संलग्न विवरण में) उपरोक्त में से एक कम्पनी मै० राजस्थान स्पिनिंग एण्ड मिल्स लिमिटेड को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनी के रूप में पंजीकरण के पश्चात आई. डी. आर. अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था।

ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1.	उपक्रम का नाम तथा इसकी स्थिति	मै० राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० (खारीग्राम, गुलाबपुरा, राजस्थान)
2.	निर्माण की वस्तु क्षमता तथा औद्योगिक लाइसेंस की श्रेणी	सूती धागा (व्यापार चलाना)
3.	निश्चित परिसम्प में प्रस्तावित नियोजन	(भूमि+भवन+मशीनरी 1.31 करोड़ रुपय)
4.	औद्योगिक लाइसेंस संख्या तथा तारीख	आई. एल. 4181 दिनांक 30-6-81 (29/81)